

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 248/2023

उनवान

रामपाल पिता मिश्री बलाई निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- धर्मवीर सिंह पिता रघुनाथ सिंह राजपूत निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 2- कल्याण पिता छीतर चमार निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
- 3- रामपाल पिता चान्दमल चमार निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कमलेश कुमार मुण्डेतिया : अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 20/02/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 4508 रकबा 0.0500 है०, 4511 रकबा 0.3500 है०, 4513 रकबा 0.0500 है०, 4514 रकबा 0.0400 है०, 5865/4509 रकबा 0.0100 है०, 5866/4509 रकबा 0.1000 है० कुल किता 6 रकबा 0.60 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० 1 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खामोर में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 6 रकबा 0.60 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पूर्वा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/02/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(मुकेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला शाहपुरा